रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052022-235514
CG-DL-E-02052022-235514

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1953] नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2022/वैशाख 12, 1944
No. 1953] NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2022/VAISAKHA 12, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2022

सं. 02/2015–2020

विषय : अधिसूचना सं. 20/2015–20 दिनांक 24.08.2021 के अंतर्गत प्रावधानों की छूट को आगे बढ़ाना।

का.आ. 2053(अ).—समय–समय पर यथा–संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 और धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना सं. 23/2015–20 दिनांक 03.09.2021, अधिसूचना सं. 26/2015–20 दिनांक 13.09.2021, अधिसूचना सं. 32/2015–20 दिनांक 25.09.2021 और अधिसूचना सं. 36/2015–20 दिनांक 08.10.2021 के साथ पठित डीजीएफटी की अधिसूचना सं. 20/2015–20 दिनांक 24.08.2021 को निम्नानुसार संशोधित करती हैः–

i. 5.5 लाख मीट्रिक टन की शेष मात्रा के आयात हेतु आयात की अंतिम तिथि को 30 सितंबर 2022 अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो आगे बढ़ाया जाता है। दिनांक 30 सितंबर 2022 को अथवा इससे पहले की तारीख का लदान–बिल अथवा 'लॉरी रसीद' के लिए दी गई खेपों के आयात हेतु विचार किया जा सकता है। इसके अलावा सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा 31 दिसंबर 2022 को अथवा इससे पहले ''आऊट ऑफ चार्ज'' प्राधिकृत किया जा सकता है।

ii. यह दोहराया जाता है कि आयात पूर्व में अधिसूचित केवल 8 पत्तनों अर्थात न्हावा सेवा पत्तन (आईएनएनएसए1), एलसीएस पेट्रापोल (आईएनपीटीपीबी), मुम्बई समुद्री पत्तन (आईएनबीओएम1), तूतीकोरिन समुद्री पत्तन (आईएनटीयूटी1), विशाखापटनम समुद्री पत्तन (आईएनवीटीजेड1), घोजाडांगा एलसीएस (आईएनजीजे एक्स बी), कोलकाता (आईएनसीसीयू1) और राणाघाट रेलवे स्टेशन (आईएनआरएनजी2) के माध्यम से अनुमत किया जाता है।

iii. पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचएंडडी) द्वारा आयात मात्रा की कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि 5.50 लाख मीट्रिक टन की अधिदेशित मात्रा का उल्लंघन न हो।

2. अधिसूचना सूचना का प्रभावः

अधिसूचना सं. 20/2015–20 दिनांक 24.08.2021 के अंतर्गत आयात प्रावधानों की छूट को 5.50 लाख मीट्रिक टन की शेष मात्रा के आयात के लिए दिनांक 30.09.2022 अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो अनुमत किया जाता है। ऐसी आयात खेप के लदान का बिल 30.09.2022 को या उससे पहले का होना चाहिए और ऐसी खेपों के 'आऊट ऑफ चार्ज' को 31 दिसम्बर, 2022 को या उससे पहले सीमा शुल्क विभाग द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. एम–5012/300/2002/पीसी–2(क)/पार्ट VI/ई-9019]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2022

No. 02 /2015-2020

Subject: Extension of relaxation of the Provisions under Notification 20/2015-20 dated 24.08.2021

S.O. 2053(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of FT(D&R) Act, 1992 read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the DGFT Notification No. 20/2015-2020 dated 24.08.2021 read with Notification 23/2015-20 dated 03.09.2021, Notification No. 26/2015-20 dated 13.09.2021, Notification 32/2015-20 dated 25.09.2021 and Notification 36/2015-20 dated 08.10.2021 as under:

i. For import of remaining Quantities of 5.5 Lakh MTs the last date of imports is extended to 30th September 2022, or until further orders, whichever is earlier. The import of given consignments may be considered for Bill of Lading or Lorry Receipt dated on or before 30th September, 2022. Furthermore, 'Out of charge' may be authorised by the Customs Authorities on or before 31st December, 2022.

ii. It is reiterated that import is allowed only through the (8) ports as notified earlier i.e., Nhava Sheva Port (INNSA1), LCS Petrapole (INPTPB), Mumbai Sea Port (INBOM1), Tuticorin Sea Port (INTUT1), Vishakhapatnam Sea Port (INVTZ1), Ghojadanga LCS (INGJXB), Kolkata (INCCU1) and Ranaghat Railway Station (INRNG2).

iii. Strict monitoring of import quantity to be ensured by Department of Animal Husbandry and Dairying (DAH&D) so that the mandated quantity of 5.50 lakh MT is not breached.

2. Effect of the Notification:

Relaxation of import provisions under Notification No. 20/2015-20 dated 24.08.2021 to allow import of the remaining quantity of 5.50 Lakh MT upto 30.9.2022 or until further orders, whichever is earlier. Bill of lading of such import consignments to be on or before 30.9.2022 and "Out of Charge" of such consignments to be authorised by customs on or before 31.12.2022.

This issues with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. M-5012/300/2002/PC-2(A)/Part-VI/E-9019]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.02 22:59:39 +05'30'